उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-159/2019/2490/92-2-19-39जांच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 05 नवम्बर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, तत्का0 अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बागपत के विरूद्ध जिला प्रशासन, मेरठ द्वारा एक रैली के दौरान समाज विरोधी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुददो पर लिये गये विध्वंसक भाषण के लिये थाना-मेडिकल, मेरठ में अभियोग संख्या-360/2002 पंजीकृत कराया गया, जिसमें उन्हें जेल जाना पडा। उक्त घटना के क्रम में जिलाधिकारी, बागपत के आदेश सं0-796/दि0 20-08-2003 द्वारा श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, अवर अभियंता को निलम्बित किया गया, जिसकी पुष्टि निदेशालय के आदेश सं0-2009/दि0 11-11-2003 द्वारा करते हुये प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-मेरठ को जांच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अधीक्षण अभियंता, परि0-लखनऊ की अध्यक्षता में श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, अवर अभियंता के द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु गठित कमेटी, जिसमें श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ भी सदस्य थे, के द्वारा श्री धर्मेन्द्र प्रकाश के विरूद्ध प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही व अभियोजन के प्रचलित रहने की स्थिति में उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लिये त्रुटिपूर्ण संस्तुति किये जाने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री रियाज अहमद सिददीकी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ श्री जी0 एस0 नवीन कुमार, विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन को जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहा0(स्था0-3), मुख्यालय को विभागीय पक्ष/ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव

संख्या-159/2019/2490(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभि0,ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0, को उनके पत्र सं0-जी-337/ग्रा0अ0वि0/ स्था0-3/ अ0अभि0/व्य0प0-डी-78/18-19 दि0 20-07-18 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री सिददीकी के विरूद्ध आरोपपत्र गठित कर शासन को 03 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/ श्री जी0एस0 नवीन कुमार, विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहायक(स्था0-3) कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0,मुख्यालय।

4- श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्का0 अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-लखनऊ सम्प्रति पीआईयू/ प्रखण्ड-पीलीभीत द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(वी0के0 सिंह)

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in